माननीय सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु आहूत समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन है। इस अवसर पर मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो।

यह हमारे लिए अत्यन्त दु:खद है कि विधान सभा के माननीय सदस्य और मंत्री श्री चेतन चौहान व श्रीमती कमल रानी वरुण तथा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री श्रीराम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं इन दिवंगत सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।

आप सब अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना ने सम्पूर्ण विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हमारा देश व प्रदेश भी इस महामारी की चपेट में आया किन्तु माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को अत्यन्त प्रभावी रूप से नियन्त्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी सराहना माननीय प्रधान मंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी की है। मेरी सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्ण लॉक डाउन के दौरान समस्त आवश्यक कार्यों की निरन्तरता को प्रभावित किए बिना प्रदेश के समस्त सरकारी कार्मिकों के वेतन का भुगतान अबाधित रूप से किया गया।

प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जाँच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं। कोविड जाँच की क्षमता को शून्य से 2 लाख प्रतिदिन तक पहुँचाने, कोविड रोगियों हेतु 1.5 लाख से अधिक बेड्स एवं प्रत्येक जनपद में आई०सी०यू० की व्यवस्था कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने एवं कोरोना प्रबन्धन में मेरी सरकार ने जो कार्य किया है, उसकी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी है।

वर्तमान में कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए वृहद स्तर पर कोरोना टीकाकरण प्रगति पर है। हमारे देश ने दो स्वदेशी वैक्सीन लांच किए हैं, जिन्हें देश में युद्ध स्तर

पर टीकाकरण में उपयोग के साथ-साथ अन्य मित्र देशों को भी प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों/श्रमिकों ने अपने गृह जनपद हेतु प्रस्थान किया। मेरी सरकार द्वारा उ०प्र० परिवहन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 40 लाख प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक भेजने, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गईं। प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के उपयोग हेतु राशन किट वितरण के साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में प्रति श्रमिक एक हज़ार रुपये की धनराशि भी ऑनलाईन हस्तान्तरित की गई।

राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 12 हजार से अधिक छात्र/छात्राओं एवं जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 14 हजार छात्र/छात्राओं को भी सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुँचाने का कार्य किया गया।

कोरोना संकट के दौरान कानून-व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं के अप्रतिम योगदान को मैं नमन करती हूँ। उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं जिन्होंने इस अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।

मेरी सरकार ने कोरोना काल के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूज्य संतों तथा अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शुभारम्भ कुशलता पूर्वक सम्पन्न किया जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व देश की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर **'अयोध्या: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर'** नामक प्रदेश की भव्य झाँकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या में तीन दिवसीय तथा वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर भव्य **दीपोत्सवों** का आयोजन भी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

मेरी सरकार प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत स्टार्ट-अप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यू०पी० को बढ़ावा दे रही है। सरकार की

नीतियाँ भविष्योन्मुखी हैं तथा **'सबका साथ सबका विकास'** के विज़न का अनुसरण करते हुए समावेशी, सतत एवं संतुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गई हैं।

मेरी सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यों से जन-जन में लोकप्रियता प्राप्त की है। सरकार की कार्यशैली से प्रदेश में हुए बदलाव को प्रदेश की जनता ने न केवल देखा है, वरन् अनुभव भी कर रही है। कोरोना संकट के पश्चात् प्रदेश एक नई ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है।

निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता, कानून व्यवस्था में निरन्तर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश **"ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस"** रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु आयोजित उ०प्र० इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा समिट में रु० 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से लगभग रु० 3.00 लाख करोड़ की परियोजनाएं सक्रिय रूप से संचालित हो गई हैं। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने हेतु 27 वि□भागों के साथ 'निवेश मित्र' पोर्टल की स्थापना की गयी थी, जिसमें अब तक 227 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। कोरोना कालखण्ड में निवेश आकर्षित करने हेतु इन्वेस्ट यूपी के अन्तर्गत हेल्पडेस्क स्थापित की गई थी, जिसके फलस्वरूप अब तक 56 परियोजनाओं हेतु रु० 45 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेज़ी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है जिसकी लम्बाई लगभग 340 कि०मी० है। इस एक्सप्रेस-वे पर आपात स्थिति में वायु सेना के लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग/टेक-ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 कि०मी० हवाई-पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 296 कि०मी० लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। जनपद मेरठ से प्रयागराज

तक **गंगा एक्सप्रेसवे** का निर्माण भी प्रारम्भ होने की स्थिति में है तथा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारम्भ हो चुकी है।

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति -2017 प्रख्यापित की गयी है। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विश्व स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे का विकास कराया जा रहा है जिसकी भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक निवेश हेतु महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी । कुशीनगर हवाई-अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु लगभग तैयार हो चुका है । इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे - लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतमबुद्ध नगर व अयोध्या में हो जाएंगे। वर्तमान में 07 हवाई अड्डे लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज व हिण्डन क्रियाशील हैं तथा बरेली से उड़ानें 8 मार्च, 2021 से शुरू हो रही हैं। इसके अतिरिक्त 4 हवाई अड्डों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती व मुरादाबाद में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा यह लाइसेन्सिंग की प्रक्रिया में हैं। अग्रेतर सोनभद्र व चित्रकूट में निर्माण कार्य चल रहा है तथा सहारनपुर, झांसी, मेरठ व ललितपुर में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रशस्त है ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में निवेश व रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 में रु० 20 हजार करोड़ के निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 03 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 03 वर्षों में ही अर्जित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2020 अधिसूचित की गई है, जिसके अन्तर्गत 05 वर्षों में रु० 40 हजार करोड़ के निवेश तथा 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। ई-टेण्डरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। टेण्डरिंग प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए प्रदेश में मई, 2017 से 10 लाख से ऊपर की सभी निविदाओं को ई-टेण्डरिंग माध्यम से आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर पर एक डी०बी०टी० पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर 27 विभागों की 130 योजनाओं को ऑनबोर्ड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 56 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 प्रख्यापित किया गया है जिसके अंन्तर्गत उद्यम स्थापना, विस्तारीकरण एवं विविधीकरण की अनेक प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है। **अब उद्यमी को 1,000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी।** बैंकों से समन्वय कर प्रदेश के लगभग 1 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगभग रु० 3,000 करोड़ के ऋण वितरित कराकर लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। **ओ०डी०ओ०पी० योजना** के अन्तर्गत लाखों कारीगरों को ई-मार्केट से जोड़ा गया है तथा 16 जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेन्टर स्थापित हो रहे हैं। योजना के अंन्तर्गत आयोजित 04 आनलाइन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को रु० 30 हज़ार करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से सम्बन्धित उत्पादों में प्रदेश आत्म निर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र गति से अग्रसर है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश को एक प्रमुख निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित किए जाने का कार्य किया जा रहा है तथा इसी क्रम में निर्यात नीति 2020-25 का प्रख्यापन किया गया है। सरकार की नीतियों के सुगम, त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन व प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों के प्रयासों से प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-2018 में रु० 88 हजार 966 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में रु० 01 लाख 20 हजार 356 करोड़ पहुँच गया है तथा प्रदेश निर्यात के एक 'हब' के रूप में विकसित हुआ है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं व पारम्परिक कारीगरों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार मिल रहा है। राज्य के श्रमिकों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** संचालित है।

प्रदेश के विकास को त्वरित गति प्रदान करने में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। मार्च, 2017 से अब तक 110 पारेषण उपकेन्द्रों व तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है, 656 नए 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा 1,216 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी गई है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घण्टे 30 मिनट व गाँवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत 1,272 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है तथा लगभग 1,019 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 1,470 मेगावाट सौर ऊर्जा के ओपेन एक्सेस के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर प्लाण्ट स्थापित किए गए हैं। **पंडित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, समग्र ग्राम विकास योजना तथा प्रोजेक्टर बोर्ड** के अन्तर्गत चयनित बाज़ारों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु कुल मिलाकर सोलर स्ट्रीट लाइट के 62,460 संयन्त्रों की स्थापना कराई गई है । ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 121.32 लाख मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल 138.01 लाख विद्युत संयोजन दिए गए हैं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसके लिए ज़ीरो टालरेन्स की नीति अपनाई गई है । प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके व उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेन्सों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1 हज़ार करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गयी है । अब तक विभिन्न प्रकार के माफियाओं में से 1019 को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस के भारी दबाव के कारण कई माफियाओं ने माननीय न्यायालयों में आत्मसमर्पण कर दिया है। वर्ष 2020 में शस्त्र अधिनियम में 35,437, जुआ

अधिनियम में 14,637, एन०डी०पी०एस० अधिनियम में 11,377, आबकारी अधिनियम में 82,520, गुण्डा अधिनियम में 33,537, गैंगस्टर अधिनियम में 4,402, रासुका में 220 तथा गोवध अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत 68,12,310 मामलों में कार्यवाही की गई है।

महिला सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2020 में क्रमश: दहेज मृत्यु में 7.96, बलात्कार में 18.93, शीलभंग में 20.02, अपहरण में 26.47 तथा पारिवारिक महिला उत्पीड़न में 13.41 प्रतिशत की कमी आयी है। प्रदेश में हत्या की घटनाओं में निरन्तर कमी आयी है तथा वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 में 25.88% की कमी हुई है।

पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कई कदम उठाए गए हैं। पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है,अपराधियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण व कानून व्यवस्था पर कड़ी निगाह रखने हेतु प्रत्येक जनपद को एक-एक ड्रोन दिया गया है। प्रदेश में रेन्ज स्तर पर फोरेन्सिक लैब स्थापित की जा रही हैं। साइबर अपराधों की रोक-थाम हेतु कुल 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों की स्थापना की गयी है तथा पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस बल में लगातार भर्ती की कार्यवाही जारी है जिसके अन्तर्गत 20 प्रतिशत महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अब तक लगभग 01 लाख 37 हजार से अधिक पदों पर भर्तियाँ की गई हैं। पुलिस/अग्निशमन कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास निर्मित कर आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।

सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत प्रदेश में ई-चालान की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। सरकार के प्रयासों से वर्ष 2020 में विगत वर्ष के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं में 19 प्रतिशत तथा मृत्यु में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

होमगार्ड्स संगठन की पुलिस बल के सहयोगी बल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण हेतु रु० 10 करोड़ से उत्तर प्रदेश होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना की गयी है, जिसके ब्याज से प्राप्त होने वाली आय से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ड्यूटीरत् होमगार्ड्स का 24 घण्टे का दुर्घटना बीमा कराया गया है, जिसके

अंन्तर्गत मृत्यु पर रु० 5.00 लाख तथा घायल होने पर रु० 2.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रदेश की जेलों का आधुनिकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। प्रदेश की 70 कारागारों व 73 जनपदीय न्यायालयों में स्थापित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाईयों के माध्यम से विचाराधीन बंदियों के रिमाण्ड की कार्यवाही करायी जा रही है। कारागारों की सुरक्षा एवं बंदियों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु 24 कारागारों में जैमर एवं 2800 से अधिक सी०सी०टी०वी० कैमरे तथा कारागार मुख्यालय में वीडियो वाल/कमाण्ड सेन्टर की स्थापना की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला न्यायाधीश स्तर के 74 परिवार न्यायालयों का गठन करते हुए प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में इन न्यायालयों का गठन किया जा चुका है। मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण हेतु 42 आवासों के निर्माण हेतु लगभग रु० 150 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मल्टी लेवल पार्किंग एवं अधिवक्ता चैम्बर हेतु रु० 574 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय कक्ष, सुरक्षा, कम्प्यूटरीकरण एवं न्यायिक अधिकारयों के आवास हेतु रु० 250 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। युवा अधिवक्ताओं को पुस्तकों एवं पत्रिका आदि के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

कृषि प्रदेश के अधिकांश लोगों की जीविका का साधन है, खाद्यान्न के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। वर्ष 2019-20 में 599.81 मी० टन लक्ष्य के सापेक्ष 601.84 लाख मी० टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अन्तर्गत अब तक 240 लाख किसानों को रु० 27 हजार 134 करोड़ से अधिक की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्ष 2020 के मई माह में मध्य प्रदेश व राजस्थान से उत्तर प्रदेश में टिड्डी दलों का आक्रमण प्रारम्भ हुआ, परन्तु सरकार के समन्वित प्रयासों तथा किसानों के सक्रिय सहयोग से टिड्डी दलों के आक्रमण को विफल कर दिया गया तथा फसलों को कोई क्षति नहीं हुई।

प्रदेश में मण्डी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाईसेन्स व मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। कोरोना काल के दौरान फल एवं सब्जी किसानों के हित में 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मण्डी शुल्क समाप्त कर किसानों को भारी राहत पहुंचाई गई है।

प्रदेश में कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सेन्टर्स आफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है। कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद गोण्डा में एक नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है तथा जनपद लखीमपुर खीरी तथा आजमगढ़ में नवस्थापित कृषि महाविद्यालयों को क्रियाशील किया गया है। कृषि शोध के विस्तार हेतु 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिनमें से 15 केन्द्र संचालित हो चुके हैं।

कृषकों को ऋण एवं कृषि निवेश उपलब्ध कराने में सहकारी क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रदेश में कृषि निवेश योजना के अन्तर्गत 8,496 सहकारी समितियों द्वारा सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उर्वरक एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत खरीफ अभियान-2020 में उर्वरक वितरण के कुल निर्धारित लक्ष 12.90 लाख मी० टन के सापेक्ष 18.38 लाख मी० टन उर्वरक का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से हुआ।

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 क्रय केन्द्र स्थापित कर 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मी० टन गेहूँ क्रय किया गया जिसके सापेक्ष रु० 6,885.16 करोड़ का भुगतान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 50 लाख मी० टन लक्ष्य के सापेक्ष 56.57 लाख मी० टन धान की रिकार्ड खरीद की गयी । खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्रय केन्द्र तब तक संचालित रहें जब तक कोई भी किसान अपना गेहूँ अथवा धान केन्द्र पर लाना चाहता है। अब तक रिकार्ड 65.5 लाख मी० टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 5 कि०ग्रा० प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना से अबतक लगभग 4 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा

चुका है, भारत सरकार की 'वन नेशन वन कार्ड' योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू कर दी गई है।

चीनी उद्योग प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। विगत पेराई सत्र 2019-20 में कुल गन्ना क्षेत्रफल 26.79 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 126.37 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन किया गया। मेरी सरकार द्वारा अब तक लगभग 01 लाख 23 हजार करोड़ रूपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है जिससे 45.44 लाख गन्ना किसान लाभान्वित हुए। नई ऑनलाइन खाण्डसारी लाइसेन्सिंग नीति के अन्तर्गत 264 नई खाण्डसारी इकाईयों हेतु लाइसेन्स निर्गत हुए, जिनमें से 168 इकाईयां संचालित हैं। कोविड काल के दौरान कोई भी चीनी मिल बंद नहीं हुई; किसानों के सहयोग से सफलतापूर्वक गन्ने की पेराई की गयी तथा गन्ना उपज की कोई हानि नहीं हुई । किसी चीनी मिल परिसर में कोई भी किसान कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ ।

दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है; दुग्ध उत्पादकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के रख-रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से **'गोकुल पुरस्कार'** एवं भारतीय गोवंश की गाय से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को **'नन्द बाबा'** पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति-2018 क्रियान्वित की जा रही है। अग्रेतर प्रदेश में खुरपका- मुँहपका रोग के नियन्त्रण हेतु इस वित्तीय वर्ष में 520.36 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 445.07 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु 187 वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 118 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। **मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना** के अन्तर्गत 74 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। प्रदेश में अद्यतन कुल 5,206 आश्रय स्थलों में लगभग 5.58 लाख गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं।

प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों की उपलब्धता का सदुपयोग करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन के माध्यम से मत्स्य पालकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कुल 6.9 लाख मी० टन का रिकार्ड मत्स्य उत्पादन हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3 हजार हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन/वितरण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 02 लाख मत्स्य पालकों को नि:शुल्क प्रीमियम पर **मछुआ दुर्घटना बीमा योजना** से आच्छादित किया जा रहा है।

प्रदेश में बागवानी के विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालित किया जा रहा है। किसानों को नगदी फसलों जैसे आलू और केले की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है; पान की खेती, मशरूम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन हेतु राजकीय केन्द्रों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा कौशल अभिवृद्धि के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति- 2017 लागू की गयी है । रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सुलभ कराए जाने हेतु विभिन्न योजनाएं यथा माडल चाकी कीट पालन, शहतूत उद्यानों की स्थापना, रेशम विकास, जागरूकता एवं प्रशिक्षण तथा सिल्क समग्र योजना इत्यादि संचालित की जा रही हैं ।

मेरी सरकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। विगत तीन वर्षों में कुल 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, जिनसे 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 09 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिनसे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40.48 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

किसानों को सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान (पीएम-कुसुम) योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा रही है।

प्रदेश के लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य श्रेणी के कृषकों को नि:शुल्क बोरिंग, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल, वर्षा जल संचयन हेतु तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार इत्यादि योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त किसानों को नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत रु० 10 हजार प्रति लाभार्थी की सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित कराया जा रहा है।

कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में **मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत अधिकतम रु० 5.00 लाख दिए जाने का प्रावधान है जिससे बटाईदार भी आच्छादित होंगे। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3.48 लाख कृषकों को 113.20 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की गई।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत "हर घर जल" उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

- प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र के सभी ग्रामों को शुद्ध पाइप पेयजल से आच्छादित करने के लिए योजनाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो गुणता प्रभावित बस्तियाँ हैं,जे०ई०/ए०ई०एस० से प्रभावित बस्तियाँ हैं, आकांक्षात्मक जनपद हैं और अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम हैं तथा अन्य छूटे हुए ग्रामों में भी पाइप पेयजल योजना प्रारम्भ करने के लिए पूरे प्रदेश के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बिड के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर लिया गया है और लगभग 30 हजार ग्रामों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है।
- निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक इन योजनाओं का रख-रखाव भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा।

मुख्य मंत्री आर०ओ० पेयजल योजना के अन्तर्गत बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल जापानी इन्सेफेलाइटिस /एक्यूट इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित 07 जनपदों तथा बुन्देलखण्ड के क्षेत्र के 07 जनपदों अर्थात कुल 14 जनपदों के 28 हजार से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर क्षमता के 'अल्ट्रा फिल्ट्रेशन' तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयन्त्रों का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

गंगा की निर्मलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। पावन गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज सम्बन्धी 44 परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। भूगर्भ जल संसाधनों से सम्बन्धित चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन), 2019 लागू किया गया है।

कानपुर व आगरा मेट्रो रेल परियोजनाएं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनके प्राथमिक सेक्शन का ट्रायल रन दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक लक्षित है। गोरखपुर लाईट मेट्रो परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है तथा प्रयागराज एवं वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के डी०पी०आर० की कार्यवाही प्रगति पर है।

मेरी सरकार प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास तथा कमजोर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। इस हेतु शासकीय संस्थाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र के बिल्डर्स व डेवलपर्स को भी अच्छी गुणवत्ता की आवासीय कॉलोनियों एवं आवासों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। **अमृत योजना** के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 60 नगरों हेतु जी०आई०एस० आधारित महायोजनाएं तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 चयनित शहरों में लगभग रु० 20 हज़ार करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहाँपुर, मथुरा वृन्दावन, फिरोज़ाबाद एवं गाज़ियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का कार्य प्रशस्त है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के हर आवासहीन व्यक्ति को अपनी छत प्रदान करने के स्वप्न को साकार करने वाली **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी** एवं **मुख्यमंत्री आवास योजना** के अन्तर्गत लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.27 करोड़ व्यक्तिगत एवं 45 हजार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंन्तर्गत प्रदेश के 651 नगरीय निकाय क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया से प्रमाणित ओ०डी०एफ० हैं।

यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के **समस्त नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है।** प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर टु डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है तथा स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में वर्ष 2019 में 10 वें स्थान के सापेक्ष वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को उनके आवासीय स्थल के निकट ही श्रमपरक रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित **मनरेगा योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए 3,500 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष 2,958 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में कुल 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया जो पूरे देश में सर्वोच्च है।

आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 16 हजार पंचायत भवनों की मरम्मत कर पुस्तकालय सेवा केन्द्र के रूप में विकास कराया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 हजार से अधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत कराई गई है।

प्रदेश में यातायात को सुगमता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 5,400 कि०मी० के 67 नए राज्य मार्ग घोषित किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से व समस्त तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों को दो लेन चौड़े मार्ग से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़कीरण कर प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया जा रहा है।

सफल वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण हेतु मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से प्रदेश के वनावरण तथा वृक्षावरण में 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कठिन समय में भी दिनांक 05 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण महा अभियान में सभी विभागों व जन सहयोग से **एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधारोपण** किया गया तथा वर्तमान वर्ष में 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। व्यापक पर्यावरणीय जागरूकता हेतु पूरे प्रदेश में विभिन्न पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में

ईको-पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा नए ईको-पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है जिससे भारी संख्या में पर्यटक यहां आकर्षित हुए हैं।

प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 02 अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) क्रमश: गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर पठन-पाठन तथा आउटडोर सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं। जनपद वाराणसी में भी 'एम्स' की तर्ज़ पर चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है । प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए **अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय** स्थापित **हो** चुका है । इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के राजकीय व निजी क्षेत्र के मेडिकल व डेण्टल कॉलेजों को तथा निजी क्षेत्र के नर्सिंग व पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज़ को सम्बद्धता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज /संस्थान संचालित थे जबकि वर्तमान में 30 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज /संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की प्रथम रोबोटिक सर्जरी प्रारम्भ की गयी है। प्रदेशवासियों को सुपर स्पेशिएलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राजकीय मेडिकल कालेज झाँसी, गोरखपुर, मेरठ व प्रयागराज में सुपर स्पेशिएलिटी ब्लाक की स्थापना की गयी है तथा कानपुर व आगरा में भी सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक निर्माणाधीन हैं।

ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में प्रदेश में 174 जिला स्तरीय चिकित्सालय, 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 4,213 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित एवं क्रियाशील हैं। प्रदेश के 354 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीज़ों को टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा संक्रामक रोगों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है ।

मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के प्रभावी उपचार हेतु 16 पीडियाट्रिक इन्टेन्सिव केयर यूनिट (पीकू), 15 मिनी पीकू तथा 177 इन्सेफेलाइटिस उपचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन सब प्रयासों से 'एक्यूट इन्सेफेलाइटिस' रोगियों की संख्या वर्ष 2016 के 3,911 के सापेक्ष वर्ष 2020 में 1,624 रह गयी है। इसी अवधि में एक्यूट इन्सेफेलाइटिस के कारण होने वाली मृत्यु 641 से घटकर मात्र 79 रह गई हैं। वर्ष 2016 में जापानी

इन्सेफेलाइटिस, एक्यूट इन्सेफेलाइटिस के कुल 442 रोगी व 74 मृत्यु के सापेक्ष 2020 में मात्र 95 रोगी चिन्हित व 09 मृत्यु हुई हैं। इस प्रकार मस्तिष्क ज्वर की बीमारी लगभग समाप्त प्राय है।

प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 26.79 लाख रोगी लाभान्वित हुए हैं तथा 66 हजार से अधिक गम्भीर रोगियों को उच्च केन्द्रों पर सन्दर्भित किया गया है।

मेरी सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को भी विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अग्रेतर प्रदेश के सभी राजकीय आयुष महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। गैरसंचारी रोगों (मधुमेह, तनाव, उच्च रक्तचाप इत्यादि) को योग एवं प्राकृतिक उपचार के माध्यम से उपचारित करने एवं अन्य सामान्य रोकथाम हेतु आयुष चिकित्सालयों में लगभग 183 योग वेलनेस सेन्टर क्रियाशील हैं।

प्रदेश के असहाय, सुविधा-विहीन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को रु० 500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह की धनराशि सीधे 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा रही है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर रु० 30,000/- की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

"पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना" के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 27.46 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।

प्रदेश के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान के रूप में रु० 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को रु० 2,500/- प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जा रहा है

तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/उपकरण क्रय हेतु रु० 10 हजार का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रदेश में 3.80 लाख भूतपूर्व सैनिक एवं 64 हजार दिवंगत सैनिकों की पत्नियाँ हैं, जिनकी देख-रेख एवं समस्याओं के निराकरण हेतु मेरी सरकार कृतसंकल्प है । दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से उत्तर प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है तथा शहीद सैनिकों के नाम पर सड़कों के नामकरण एवं स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है । प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है ।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत पात्र सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुमन्य धनराशि रु० 35 हजार से बढ़ाकर रु० 51 हजार कर दी गयी है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत एक लाख से अधिक जोड़ों के विवाह सम्पन्न कराए गए हैं।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक लाभार्थी को रु० 20 हजार का अनुदान दिया जा रहा है।

पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वृद्धजनों हेतु सभी 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा **मिशन शक्ति** संचालित किया जा रहा है । इस अभियान के अन्तर्गत 1535 थानों में हेल्पडेस्क की स्थापना की गयी है । बालिकाओं के प्रति जनमानस में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु "**बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**" योजना का संचालन किया जा रहा है। **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 श्रेणियों में रु०15,000/- की सहायता प्रदान की जा रही है। ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु "**महिला शक्ति केन्द्र**", संकटग्रस्त महिलाओं को संस्थागत सहयोग एवं पुनर्वासन हेतु "**स्वाधार आश्रय गृह**" योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निराश्रित महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य तथा विधिक एवं परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वृन्दावन, मथुरा में 1000 बेड्स की क्षमता के **"कृष्ण कुटीर आश्रय सदन"** का संचालन किया जा रहा है ।

समेकित बाल विकास सेवा योजना 06 माह से 06 वर्ष तक आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिससे 120.04 लाख बच्चे, 5.27 लाख गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे तथा 35.86 लाख गर्भवती एवं धात्री माताएं लाभान्वित हो रही हैं।

पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत 08 लाख से अधिक छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना तथा 20 लाख से अधिक छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त 16 लाख से अधिक छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के चहुमुखी विकास एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास सम्मिलित हैं।

मेरी सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बच्चों को बेसिक शिक्षा की सुविधा हेतु लगभग 2.65 लाख विद्यालय संचालित हैं। शैक्षिक सत्र 2020-21 में परिषदीय व सहायतित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत लगभग 1.85 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत सभी परिषदीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध करने की व्यवस्था की गयी है। गुणवत्तापरक शिक्षा के संकल्प को सिद्ध करने हेतु लगभग 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की गयी है। परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 05 हजार स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प करते हुए इन्हें सभी आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के उद्देश्य से मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के वृहद् कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें दूरदर्शन पर

शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, व्हाट्सऐप क्लासेज़ व मिशन प्रेरणा यू-ट्यूब चैनल सम्मिलित हैं।

गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास किया जा रहा है । प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में सक्षम बनाने के लिए एन०सी०ई०आर०टी० का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है । संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कुल 1,151 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से 88.29 हजार छात्र-छात्राओं को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूलबंदी की अवधि में विद्यार्थियों के हित में शैक्षिक सत्र 2020-21 में व्हाट्सऐप वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके अंन्तर्गत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के 29.06 लाख ग्रुप बनाए गए तथा 67.73 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

दूरदर्शन के 'स्वयंप्रभा' चैनल के माध्यम से कक्षा 10 एवं 12 हेतु ई-कक्षाएं प्रारम्भ की गईं तथा कक्षा 10 एवं 12 हेतु ई-ज्ञान गंगा कार्यक्रम व कक्षा 9 एवं 11 हेतु ई-विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षणिक वीडियो का प्रसारण गतिमान है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश की कार्ययोजना भाग-1 **"ऑनलाइन शिक्षा नीति-शिक्षा में तकनीक का प्रयोग"** में प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने हेतु प्रदेश में सहारनपुर, आजमगढ़ तथा अलीगढ़ में 03 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत 26 मॉडल राजकीय महाविद्यालय संचालित किए जा चुके हैं । महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ के लोकोपयोगी वचनों एवं उपदेशों को एकत्रित करके योगानुकूल सिद्धान्तों एवं प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 'महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ' की स्थापना की गयी है। पं० दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिन्तन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पं० दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गई है । कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री अबाध रूप से घर बैठे सुलभ

कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में 134 विषयों के लगभग 01 लाख ई-कन्टेन्ट्स वर्तमान में उपलब्ध हैं। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में तहसील/ब्लाक स्तर पर 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय में कम्प्यूटर के साथ-साथ वाई-फाई, इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी०सी०एस०, जे०ई०ई०, नीट, एन०डी०ए०, सी०डी०एस० इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को साक्षात् प्रशिक्षण/ऑनलाइन प्रशिक्षण/सलाह दिए जाने हेतु प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर **निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों** का संचालन प्रारम्भ हो रहा है। जिसे अगले चरण में प्रत्येक जनपद स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैरियर काउन्सिलिंग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार परक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष- 2020 के प्राविधानों के दृष्टिगत तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास से जुडे हुए समस्त छात्र-छात्राओं को समस्त सेवाएं यथा-परीक्षा मूल्यांकन, भुगतान, काउंसिलिंग, प्रश्न बैंक, ऑनलाइन कन्टेन्ट, कक्षाएं, पुस्तकालय व रोजगार इत्यादि एकीकृत रूप से उपलब्ध कराए जाने के लिए **'यू-राइज पोर्टल'** का विकास व क्रियान्वयन कर एक नवीन पहल की गई है। वर्ष 2021 से प्रदेश के डिग्री इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर दो बार आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जे०ई०ई० (मेन) के माध्यम से कराया जाएगा।

युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करते हुए उन्हें रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार ने अपने कार्यकाल में 1.25 करोड़ युवाओं को रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा रोजगारपरक दीर्घ एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों

को संचालित किया जा रहा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार करने के क्रम में विभिन्न गुणवत्ता संवर्धन के कार्यों को कराया गया है। साथ ही साथ नए क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित कराया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। प्रदेश की 35 असेवित विधानसभा क्षेत्रों में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिनके संचालित होने से 18 हजार नई सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वन्यजीव इत्यादि के अनेकों स्थल विद्यमान हैं । प्रदेश के समग्र पर्यटन विकास हेतु वर्ष 2018 में नई पर्यटन नीति लागू की गयी है । उत्तर प्रदेश में विभिन्न परिपथों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें **रामायण परिपथ, बृज परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, जैन परिपथ, बुद्धिस्ट परिपथ** आदि प्रमुख हैं । इन परिपथों में आने वाले सभी पर्यटक स्थलों के उच्चीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है । रामायण परिपथ (चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर) के पर्यटन विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वाराणसी के प्रसिद्ध मन्दिरों पर आधारित **"पावन पथ वेबसाइट"** का निर्माण किया गया है। मण्डलीय कारागार गोरखपुर में पं० रामप्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक तथा चौरी-चौरा स्थित शहीद स्मारक स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चौरी-चौरा के शहीदों के सम्मान में मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है जिसका वर्चुअल शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया ।

मेरी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में देशी पर्यटकों के आगमन के दृष्टिकोण से भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में द्वितीय स्थान से वर्ष 2020 में प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रदेश में **इको-टूरिज्म** के अंतर्गत पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं जनपद चन्दौली स्थित चन्द्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में विकास कार्य कराये जा रहे हैं ।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य के अतिरिक्त, काशी विश्वनाथ धाम, विन्ध्यवासिनी धाम, शुक्रतीर्थ, बृज क्षेत्र, नैमिष धाम, चित्रकूट धाम आदि का सुरुचिपूर्ण ढंग से विकास कराया जा रहा है।

मेरी सरकार उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहर एवं परम्पराओं तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के समुचित संरक्षण संवर्द्धन एवं विकास के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के जीविकोपार्जन में असमर्थ कलाकारों को आर्थिक सहायता के रूप में 02 हजार रुपये मासिक की पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु इमलिया कोडर, जनपद बलरामपुर में एक संग्रहालय की स्थापना, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर का सुदृढ़ीकरण, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रदर्शनी की स्थापना के कार्य कराए जा रहे हैं। देश की महान विभूतियों की स्मृति को जनमानस में बनाए रखने के उद्देश्य से उनकी प्रतिमायें निर्मित कराई गई हैं । **महाराजा सुहेल देव** की कर्मभूमि चित्तौरा, जनपद बहराइच में उनके स्मारक का निर्माण एवं भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से आरम्भ हो गया है ।

सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने एवं अतिक्रमण-कर्ताओं /भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु प्रदेश में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस अभियान के अंन्तर्गत लगभग 67.79 हज़ार हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है तथा 2,339 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए 182 भू-माफियाओं को जेल में निरुद्ध किया गया है।

ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने के लिए स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों में **ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी)** का वितरण सम्बन्धित भू-स्वामियों को किया जा रहा है।

उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि करते हुए राजस्व संहिता-2006 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं को मालिकाना हक के अनुकूल बनाया गया है। डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंन्तर्गत **प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त ग्रामों के भू-मानचित्रों का डिजिटाइजेशन** कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गमन की एकीकृत व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आवेदकों को 10 दिन में उनके पते पर ड्राइविंग लाइसेन्स भेजने की व्यवस्था की गयी है। प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र निर्गमन की व्यवस्था को वाहन सॉफ्टवेयर से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया गया है। मोटर दुर्घटना दावों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु प्रदेश में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 67 अधिकरण क्रियाशील हो चुके हैं।

प्रदेश के 26 हजार से अधिक असेवित ग्रामों को परिवहन बस सेवा से सेवित किया गया है। रक्षाबंधन के पर्व पर महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था से खनन परिहार स्वीकृत किए जाने हेतु खनन नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी है। उपखनिजों के समस्त खनन पट्टों को पारदर्शी प्रक्रिया ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी है। खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के कल्याणार्थ उक्त निधि से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित किये जाने की नीति प्रख्यापित की गयी है। जनपद मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 19 जनपदों के स्टेडियम में 16 खेलों के 890 खिलाड़ियों हेतु 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित हैं। नवागन्तुक खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर एवं कुशल प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में क्रमश: लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा जनपदों में 03 स्पोर्ट्स कालेज स्थापित हैं। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कालेज के खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल किट, उपकरण, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का विकास कर युवाओं को राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के अवसर सुलभ कराए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण एवं ओपेन जिम की स्थापना करायी जा रही है।

मेरी सरकार का प्रयास है कि लखनऊ में माननीय सदस्यगण को उपयुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए। इस हेतु दारुलशफा परिसर में 40 आवासों का एक दस मंजिला बहुखण्डीय भवन निर्मित किए जाने की योजना स्वीकृत की गई है। लखनऊ आने वाले माननीय अतिथियों की सुविधा हेतु बटलर पैलेस कालोनी में 73 कक्षों के एक उच्च स्तरीय अतिथि गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार दिल्ली में प्रदेश के तीसरे 32 कक्षों के अतिथि गृह का निर्माण भी पूर्ण करा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अनुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों की कुल 340 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं तथा ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित जन सामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

मेरी सरकार श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों को देय सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके हितों के संरक्षण-संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। अवमुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु सभी 75 जनपदों में रु० 10 लाख की कार्पस निधि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु **नया सवेरा योजना** के अंतर्गत 23,482 बाल श्रमिकों का पुनर्वास कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया है।

प्रदेश के 41 जनपदों में संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंन्तर्गत कुल 23.58 लाख बीमांकित कामगार योजना से आच्छादित हैं, जिन्हें योजना के अंन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों/औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित 06 औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं 20 श्रम न्यायालयों द्वारा वर्ष 2020 में 754 औद्योगिक विवादों का निस्तारण किया गया है।

प्रदेश के **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण** अनुमन्य किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 प्रख्यापित किया गया है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाए गए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तथा **प्रधानमंत्री जन**

धन योजना के अंन्तर्गत 7.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा 5.12 करोड़ खातों के **रूपे डेबिट कार्ड** जारी किए जा चुके हैं।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आय-व्ययक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात् मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे तथा इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता को बनाये रखेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ व सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्य-कलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया।

जयहिन्द !